

कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी।  
पत्र संख्या 2028 / 2013-14 दिनांक 04 फरवरी, 2014.  
पत्रांक 3534/4-4-स्था0(08) / 2013-14 दिनांक 04 फरवरी, 2014.

:: आदेश ::

सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के समूह- ग भर्ती परीक्षा के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के पदों (आशुलिपिक संवर्ग) पर नियुक्ति हेतु संस्तुति विषयक पत्र संख्या- 1426 दिनांक 03-08-2013 के द्वारा कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी हेतु चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों की तैनाती आशुलिपिक के रिक्त पद के सापेक्ष आशुलिपिक ग्रेड-2, वेतनबैण्ड- 1-5200-20200, ग्रेड वेतन-2400 के सापेक्ष की जाती है।

| क्र0सं0 | नाम                  | पिता/पति का नाम      | तैनाती का स्थान                                    |
|---------|----------------------|----------------------|--|
| 1       | सुश्री मोनिका        | श्री रामपाल सिंह,    | कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी। |
| 2       | श्री भूपाल सिंह रावत | श्री गुमान सिंह रावत | कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड, पौड़ी। |

यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, तथा बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। सुश्री मोनिका एवं श्री भूपाल सिंह रावत को निम्न प्रकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

- 1- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।
- 2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र मूल में।
- 3- चल/अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
- 4- विवाहित/अविवाहित होने का प्रमाण पत्र।
- 5- दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(रोशन लाल)  
अपर आयुक्त,  
ग्राम्य विकास.

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सुश्री मोनिका पुत्री श्री रामपाल सिंह, टाईप- II/53, फोरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, डाकघर- न्यू फोरेस्ट, देहरादून।
- 2- श्री भूपाल सिंह रावत पुत्र श्री गुमान सिंह रावत, 36-दिव्य विहार, लेन न0-2, लोअर राजीवनगर, डाकघर, नेहरूग्राम, धर्मपुर डोंडा, देहरादून।
- 3- कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 4- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 6- अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 7- कार्यालय प्रति।

अपर आयुक्त,  
ग्राम्य विकास.